

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
की
संबंधित पक्ष लेन-देन की मैटरलिटी पर नीति और
संबंधित पक्ष के मामले

[सेबी के अनुसार (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015]

विषय सूची

खण्ड सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	लागू होने की समय सीमा और प्रभावी तिथि	3
2.	उद्देश्य	3
3.	परिभाषाएं	3
4.	संबंधित पक्ष के लेनदेन की स्वीकृति और समीक्षा	4
4.1	लेखापरीक्षा समिति का अनुमोदन- तंत्र	5
4.2	बोर्ड और शेयरधारकों का अनुमोदन - तंत्र	7
4.3	सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अनुमोदन तंत्र का सार	9
5.	कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के तहत छूट और अन्य छूट	9
6.	संबंधित पक्ष लेन-देन का अनुमोदन	11
7.	प्रकटीकरण	12
8.	स्थानांतरण मूल्य विनियमन	12
9.	डिस्क्लेमर	13
10.	नीति की समीक्षा	13

1. लागू होने की समय-सीमा और प्रभावी तिथि

कंपनी ने संबंधित पक्ष लेनदेन का महत्व और संबंधित पक्ष लेनदेन से निपटने के लिए एक नीति तैयार की है। इस नीति को 22 जनवरी, 2025 से संशोधित किया जा रहा है, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए।

यह नीति समय-समय पर संशोधित लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के आधार पर संबंधित पक्ष लेनदेन को विनियमित करने के लिए तैयार की गई है।

2. उद्देश्य

यह नीति समय-समय पर संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 23(1) [सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015] की आवश्यकता के अनुसार तैयार की गई है और इसका उद्देश्य संबंधित पक्ष लेनदेन का उचित अनुमोदन और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है।

यह नीति कंपनी की अन्य नीतियों और पद्धतियों/अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल/अधिकारियों के मैनुअल आदि का पूरक होगी, जिसके लिए अनुबंधों या व्यवस्थाओं को निर्दिष्ट तरीके से और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यदि कई कानूनों और विनियमों के आवेदन के कारण आवश्यकताओं के एक से अधिक सेट मौजूद हैं, तो प्रयास अनुपालन सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए, जो उच्च शासन मानकों को पूरा करेगी।

3. परिभाषाएं

- i. "आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन" को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) के स्पष्टीकरण (बी) में परिभाषा के अनुसार होगी
- ii. "सहयोगी कंपनी" को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(6) में परिभाषित होगी।
- iii. "लेखा परीक्षा समिति" का अर्थ है कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा गठित लेखा परीक्षा समिति से है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।
- iv. "बोर्ड" का आशय हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको) के निदेशक मंडल से है
- v. "कंपनी अधिनियम, 2013" या "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 से है।
- vi. "प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक" को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) की परिभाषा के अनुसार होगी।

- vii. **"महत्वपूर्ण संशोधन"** का अर्थ मौजूदा संबंधित पक्ष लेनदेन में किसी भी संशोधन से है, जिसका प्रभाव मूल अनुबंध के मूल्य में 30% या उससे अधिक की वृद्धि या कमी करने का हो।
- viii. **"महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन"** सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के विनियमन 23 के तहत निर्दिष्ट और समय-समय पर संशोधित संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन होगा। तदनुसार, संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन को महत्वपूर्ण माना जाएगा यदि लेनदेन व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाना है या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ लिया जाता है, जो कंपनी के अंतिम ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों के अनुसार 1,000 करोड़ रुपये या जो भी कम हो, कंपनी के वार्षिक समेकित कारोबार का 10% से अधिक हो,
- ix. **"लाभ का कार्यालय या स्थान"** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के स्पष्टीकरण (ए) में परिभाषा के अनुसार होगी।
- x. **"कार्य की सामान्य प्रक्रिया"** में ऐसी गतिविधियाँ शामिल हैं जो कार्य के लिए आवश्यक, सामान्य और प्रासंगिक हैं, लेकिन इन गतिविधियों तक सीमित नहीं हैं। ये वाणिज्यिक लेन-देन की सामान्य प्रक्रिया और पद्धति हैं। कानून में, कार्य की सामान्य प्रक्रिया किसी विशेष व्यवसाय और किसी विशेष फर्म के सामान्य लेन-देन की प्रक्रिया और पद्धति को शामिल करता है। सामान्य व्यवसाय निर्धारित करने के लिए सांकेतिक कारक हैं:
- क) आपके विशेष कार्यों के लिए सामान्य या अन्यथा उल्लेखनीय है (अर्थात् आपके सिस्टम, प्रक्रियाओं, विज्ञापन, स्टाफ प्रशिक्षण, आदि में विशेषताएं)
 - ख) सामान्यता और नियमित है
 - ग) इसमें काफी मात्रा में राशि शामिल है
 - घ) आपके व्यवसाय के लिए आय का एक स्रोत है
 - ङ) इसमें संसाधनों का महत्वपूर्ण आवंटन शामिल है
 - च) ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा या उत्पाद में शामिल है
- xi. **"संबंधित पक्ष"** का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) या लागू लेखा मानकों या समय-समय पर संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 2(1)(जेडबी) के तहत परिभाषित संबंधित पक्ष से है।
- xii. **"संबंधित पार्टी लेनदेन"** सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 2(1)(जेडसी) के अनुसार होगा।
- xiii. **"संबंधी"** को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) में परिभाषित किया जाएगा, जिसे कंपनी (परिभाषा विवरण विनिर्देश) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पढ़ा जाएगा।
- xiv. **"सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015" या "सूचीबद्ध विनियम"** का अर्थ है, समय-समय पर संशोधित, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 होगा।
- xv. **"सहायक कंपनी"** का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) में परिभाषा के अनुसार होगा।

xvi. "लेनदेन" में एकल लेनदेन या लेनदेन का समूह शामिल माना जाएगा।

इस नीति में प्रयुक्त सभी शब्द, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम और उसके तहत नियमों तथा समय-समय पर संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट किए गए हैं।

4. संबंधित पक्ष लेनदेन की स्वीकृति और समीक्षा

सभी संबंधित पक्ष लेन-देन और उसके बाद के भौतिक संशोधन लेखा परीक्षा समिति की पूर्व स्वीकृति के अधीन होंगे। अन्य सभी संशोधनों के लिए भी लेखा परीक्षा समिति की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, लेखा परीक्षा समिति के केवल वे सदस्य, जो स्वतंत्र निदेशक हैं, वे सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 23(2) के तहत संबंधित पक्ष लेन-देन को मंजूरी देंगे।

विशेष मामलों में, जहां बिना जानकारी के हुई चूक या अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण पूर्व अनुमोदन नहीं लिया गया है, लेखापरीक्षा समिति इस नीति, अधिनियम या सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार लेनदेन का अनुमोदन कर सकती है।

संबंधित विभागाध्यक्ष/क्षेत्रीय प्रमुख इस नीति के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदन (सर्वग्राही अनुमोदन या अनुसमर्थन सहित) की आवश्यकता वाले सभी संबंधित पक्ष लेन-देन के संबंध में लेखा परीक्षा समिति और/या निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए (जहां आवश्यक हो वहां समीक्षा सहित) एजेंडा रखने के लिए जिम्मेदार होंगे :

- i. ऋण, संसाधन जुटाने, अधिशेष निधि का निवेश, बैंकिंग, वित्त एवं लेखा से संबंधित मामले।
- ii. ऋणों की स्वीकृति एवं संवितरण से संबंधित मामले (बाद में छूट/संशोधन आदि के प्रस्ताव और ब्याज दर पर छूट, यदि कोई हो, प्रदान करने सहित)।
- iii. किसी भी सामान या सामग्री या उपकरण की बिक्री, खरीद या आपूर्ति से संबंधित मामले ।
- iv. किसी भी व्यक्ति से कोई सेवा प्राप्त करने, या किसी व्यक्ति को कोई सेवा प्रदान करने से संबंधित मामले, जिसमें परामर्शदाता की नियुक्ति भी शामिल है ।
- v. किसी भी प्रकार की संपत्ति की खरीद, बिक्री या अन्यथा निपटान या पट्टे से संबंधित मामले।
- vi. सीएसआर गतिविधियों से संबंधित मामले।
- vii. कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति सहित सभी मानव संसाधन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन (सीसी) और कार्मिक संबंधी मामले ।
- viii. कंपनी के किसी भी प्रभाग से संबंधित अन्य मामलों के लिए, जो विशेष रूप से उपरोक्त में शामिल नहीं किए गए हैं, और इस नीति में परिभाषित "संबंधित पक्ष लेनदेन" की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।

4.1 लेखापरीक्षा समिति का अनुमोदन- तंत्र

4.1.1 लेखापरीक्षा समिति को उपलब्ध कराए जाने वाले विवरण

संबंधित पक्ष लेनदेन की गतिविधियां करने के लिए लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित विवरण/सूचना प्रदान की जाएगी:

- क) प्रस्तावित लेन-देन, अनुबंध या व्यवस्था का प्रकार, भौतिक शर्तें और विवरण।
- ख) संबंधित पक्ष का नाम और सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी के साथ उसका संबंध, जिसमें उनकी चिंता या हित (वित्तीय या अन्यथा) की प्रकृति भी शामिल है।
- ग) प्रस्तावित लेनदेन की प्रकृति एवं अवधि (विशेष अवधि निर्दिष्ट की जाएगी)।
- घ) प्रस्तावित लेनदेन, अनुबंध या व्यवस्था का मूल्य, अधिकतम राशि और कोई अग्रिम भुगतान किया गया या प्राप्त किया गया हो
- ङ) मूल्य निर्धारण की पद्धति (सांकेतिक आधार मूल्य / वर्तमान अनुबंधित मूल्य और मूल्य में परिवर्तन के लिए फॉर्मूला, यदि कोई हो) और अन्य वाणिज्यिक शर्तें, दोनों को अनुबंध के भाग के रूप में शामिल किया गया है और अनुबंध के भाग के रूप में नहीं माना गया है।
- च) उसी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत, जो प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य द्वारा दर्शाया जाता है (और सहायक कंपनी को शामिल करने वाले आरपीटी के लिए, एकल आधार पर सहायक कंपनी के वार्षिक कारोबार के आधार पर गणना की गई प्रतिशतता अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाएगी)।
- छ) यदि लेन-देन सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित है:
 - (i) प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में राशि के स्रोत का विवरण।
 - (ii) जहां कोई वित्तीय ऋण ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश करने या देने के लिए लिया जाता है,
 - ऋण की प्रकृति
 - निधियों की लागत; और
 - अवधि।
 - (iii) लागू शर्तें, जिनमें अनुबंध, अवधि, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची शामिल हैं, चाहे सुरक्षित हो या असुरक्षित; यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति; और
 - (iv) वह उद्देश्य जिसके लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों का अंतिम लाभार्थी द्वारा उपयोग किया जाएगा।
- ज) आरपीटी कंपनी के हित में क्यों है, इसका औचित्य क्या है।
- झ) मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्ष रिपोर्ट की प्रति, यदि ऐसी किसी रिपोर्ट पर भरोसा किया गया हो।
- ञ) विपरीत पक्ष के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत जो स्वैच्छिक आधार पर प्रस्तावित आरपीटी के मूल्य द्वारा दर्शाया जाता है।
- ट) क्या अनुबंध से संबंधित सभी कारकों पर विचार किया गया है, यदि नहीं, तो उन कारकों का ब्यौरा बताएं जिन पर विचार नहीं किया गया है तथा उन कारकों पर विचार न करने का औचित्य भी बताएं; तथा
- ठ) कोई अन्य जानकारी जो प्रासंगिक हो सकती है

4.1.2 व्यापक अनुमोदन और उसके मानदंड

- (I) लेखापरीक्षा समिति निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद व्यापक अनुमोदन प्रदान करते समय मानदंड निर्धारित करेगी और ऐसा अनुमोदन उन लेनदेन के संबंध में लागू होगा जो दोहराव प्रकृति के हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- क) कुल लेनदेन का अधिकतम मूल्य, जिसे एक वर्ष में व्यापक पद्धति के तहत अनुमति दी जा सकती है;
 - ख) प्रति लेनदेन का अधिकतम मूल्य जिसकी अनुमति दी जा सकती है;
 - ग) व्यापक अनुमोदन प्राप्त करते समय लेखापरीक्षा समिति के समक्ष किए जाने वाले प्रकटीकरण की सीमा और पद्धति;
 - घ) लेखापरीक्षा समिति द्वारा उचित समझे जाने वाले अंतरालों पर, प्रत्येक किए गए व्यापक अनुमोदन के अनुसरण में कंपनी द्वारा किए गए संबंधित पक्ष लेन-देन की समीक्षा करना;
 - ङ) ऐसे लेन-देन जो लेखापरीक्षा समिति द्वारा व्यापक अनुमोदन के अधीन नहीं हो सकते।

लेखापरीक्षा समिति मानदंड निर्दिष्ट करते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगी जो व्यापक अनुमोदन के लिए, अर्थात्: -

- (क) लेन-देन की पुनरावृत्ति (अतीत में या भविष्य में);
- (ख) व्यापक अनुमोदन की आवश्यकता का औचित्य।

- (II) निम्नलिखित शर्तों के अधीन लेखापरीक्षा समिति प्रस्तावित संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए व्यापक अनुमोदन प्रदान करेगी:

1. लेन-देन लगातार/नियमित/पुनरावर्ती प्रकृति के हैं और कंपनी के सामान्य व्यवसाय के अनुरूप हैं।
2. लेखापरीक्षा समिति कंपनी के सर्वोत्तम हित में इस प्रकार के व्यापक अनुमोदन की आवश्यकता पर स्वयं विचार करेगी।
3. एक वित्तीय वर्ष में संबंधित पक्ष के साथ कुल मिलाकर किए गए सभी लेन-देनों का अधिकतम कुल मूल्य, जिसे एक वित्तीय वर्ष में व्यापक पद्धति के तहत अनुमोदित किया जा सकता है, वह एक हजार करोड़ रुपये या वार्षिक समेकित कारोबार के 10% से अधिक नहीं होगा।
4. व्यापक अनुमोदन में निम्नलिखित को निर्दिष्ट किया जाएगा:
 - (i) संबंधित पक्ष का नाम, लेन-देन की प्रकृति, लेन-देन की अवधि, किए जाने वाले लेन-देन की अधिकतम राशि,
 - (ii) सांकेतिक आधार मूल्य/वर्तमान अनुबंधित मूल्य और यदि कोई हो, मूल्य में परिवर्तन के लिए तरीका और
 - (iii) ऐसी अन्य शर्तें जिन्हें लेखापरीक्षा समिति उचित समझती हो।

बशर्ते कि जहां संबंधित पक्ष लेनदेन की आवश्यकता का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है और पूर्व विवरण उपलब्ध नहीं हैं, लेखापरीक्षा समिति ऐसे लेनदेन के लिए व्यापक अनुमोदन प्रदान कर सकती है, बशर्ते कि उनका मूल्य प्रति लेनदेन एक करोड़ रुपये से अधिक न हो।

5. लेखापरीक्षा समिति, कम से कम तिमाही आधार पर, कंपनी द्वारा दिए गए प्रत्येक व्यापक अनुमोदन के अनुसरण में किए गए आरपीटी के ब्यौरे की समीक्षा करेगी।
6. व्यापक अनुमोदन एक वित्तीय वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वैध नहीं होगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नए अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
7. कंपनी के उपक्रम को बेचने या निपटान के संबंध में लेनदेन के लिए व्यापक अनुमोदन नहीं किया जाएगा।

4.1.3 लेखापरीक्षा समिति द्वारा विचार-विमर्श

अनुमोदन करते समय लेखापरीक्षा समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगी:

- क) लेनदेन की शर्तों, लेनदेन का व्यावसायिक उद्देश्य, कंपनी और संबंधित पक्ष को होने वाले लाभ सहित सभी प्रासंगिक तथ्य और परिस्थितियां।
- ख) क्या संबंधित पक्ष लेनदेन की शर्तें कंपनी के सामान्य व्यवसायपद्धति में हैं और लेनदेन में करते समय आर्म्स लेंथ के आधार पर की गई हैं।
- ग) कंपनी द्वारा संबंधित पक्ष लेनदेन में प्रवेश करने के लिए व्यावसायिक कारण और वैकल्पिक लेनदेन की प्रकृति, यदि कोई हो।
- घ) क्या संबंधित पक्ष लेनदेन से कंपनी के किसी निदेशक या केएमपी की स्वतंत्रता प्रभावित होगी या हितों का टकराव होगा।
- ङ) कोई अन्य मामला जिसे लेखापरीक्षा समिति उचित समझती हो।

जहां किसी संबद्ध पक्ष लेनदेन के लिए प्रस्ताव रखा गया हो, लेकिन लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित न किया गया हो, तो ऐसे कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए।

4.1.4 लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा

लेखापरीक्षा समिति वार्षिक आधार पर दीर्घकालिक (एक वर्ष से अधिक) या आवर्ती (लांग टर्म) आरपीटी की स्थिति की भी समीक्षा करेगी। ऐसे एजेंडे को रखने का दायित्व उस विभाग/क्षेत्रीय कार्यालय पर होगा जिसने मूल अनुमोदन के समय एजेंडा शुरू किया था।

4.2 बोर्ड और शेयरधारकों का अनुमोदन – तंत्र

4.2.1 कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत

यथा संशोधित कंपनी अधिनियम के तहत लागू विनियमों के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के अनुसार निर्दिष्ट संबंधित पक्ष लेनदेन के मामले में और जैसा कि नीचे दी गई तालिका में उल्लेख है, निम्नलिखित के अनुसार बोर्ड और/या शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है:

- क) बोर्ड की बैठक में पूर्व अनुमोदन - ऐसे लेन-देन जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में न हों या जो निष्पक्ष आधार पर न हों।

इसके अतिरिक्त, यदि कोई निदेशक किसी संबंधित पक्ष के लेनदेन में रुचि रखता है, तो ऐसा निदेशक ऐसे लेनदेन से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान से दूर रहेगा।

- ख) शेयरधारकों से प्रस्ताव के माध्यम से पूर्व अनुमोदन - ऐसे लेन-देन जो सामान्य व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आते हों या आर्म्स लेंथ आधार पर नहीं किए गए हो तथा निम्नलिखित न्यूनतम सीमा से परे हों:

क्रम सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट आरपीटी(एस)	शेयरधारकों के अनुमोदन की सीमा
क)	किसी भी माल या सामग्री की बिक्री, खरीद या आपूर्ति, सीधे या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से करना	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ड.) में उल्लिखित अनुसार कंपनी के टर्नओवर का दस प्रतिशत या उससे अधिक।
ख)	किसी भी प्रकार की संपत्ति को बेचना या अन्यथा निपटान या खरीदना, सीधे या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से करना	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ड.) में उल्लिखित अनुसार कंपनी की निवल संपत्ति का दस प्रतिशत या उससे अधिक।
ग)	किसी भी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) के खंड (ग) में उल्लिखित अनुसार कंपनी के टर्नओवर का दस प्रतिशत या उससे अधिक।
घ)	किसी भी सेवा का लाभ उठाना या प्रदान करना, सीधे या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) के खंड (घ) और खंड (ड.) में उल्लिखित अनुसार कंपनी के टर्नओवर का दस प्रतिशत या उससे अधिक।
ड.)	ऐसे संबंधित पक्ष की कंपनी, उसकी सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी में किसी पद या लाभ के स्थान पर नियुक्ति	जिनका मासिक पारिश्रमिक ढाई लाख रुपये से अधिक है।
च)	कंपनी की किसी भी प्रतिभूति या उससे संबंधित डेरिवेटिव्स के सब्सक्रिप्शन के लिए अंडरराइटिंग करने हेतु पारिश्रमिक।"	कुल संपत्ति का एक प्रतिशत से अधिक।

स्पष्टीकरण:

- उप-खण्ड (क) से (घ) में निर्दिष्ट सीमाएं, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पिछले लेनदेन के साथ किए जाने वाले लेनदेन या लेनदेनों पर लागू होंगी।

- टर्नओवर या कुल संपत्ति की गणना पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर की जाएगी।

4.2.2 सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अंतर्गत

सभी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन और उनमें महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। हालाँकि, शेयरधारकों की स्वीकृति से पहले इसे बोर्ड की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

4.2.3 मतदान

कोई भी संबंधित पक्ष ऐसे प्रस्तावों पर मतदान नहीं करेगा, चाहे वह संस्था उस विशेष लेनदेन से संबंधित पक्ष हो या नहीं।

4.2.4 बोर्ड और शेयरधारकों को उपलब्ध कराए जाने वाले विवरण

- उपरोक्त 4.1.1 में लेखापरीक्षा समिति को प्रदान की गई जानकारी संबंधित पक्ष लेनदेन के अनुमोदन के लिए बोर्ड को भी प्रदान की जाएगी।
- संबंधित पक्ष लेनदेन के अनुमोदन के लिए शेयरधारकों को निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जाएगी :

- क) उपरोक्त बिंदु 4.1.1 में निर्दिष्ट अनुसार कंपनी के प्रबंधन द्वारा लेखापरीक्षा समिति को उपलब्ध कराई गई जानकारी का सार जिसमें संबंधित पक्ष का नाम, संबंध की प्रकृति, प्रकृति, भौतिक शर्तें, मौद्रिक मूल्य और अनुबंध या व्यवस्था का विवरण शामिल है।
- ख) प्रस्तावित लेनदेन कंपनी के हित में क्यों है, इसका औचित्य क्या है।
- ग) जहां लेनदेन सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित है, वहां उपरोक्त बिंदु 4.1.1 (जी) के तहत निर्दिष्ट विवरण।
- घ) एक वक्तव्य कि प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में कंपनी द्वारा जिस मूल्यांकन या अन्य बाहरी रिपोर्ट पर विश्वास किया गया है, यदि कोई हो, तो उसे शेयरधारकों के पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
- ङ) विपरीत पक्ष (Counter- party) के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत, जो स्वैच्छिक आधार पर प्रस्तावित आरपीटी के मूल्य द्वारा दर्शाया जाता है।
- च) यदि कोई हो तो संबंधित निदेशक या केएमपी का नाम।
- छ) कोई अन्य जानकारी जो प्रासंगिक हो।

4.3 सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अनुमोदन तंत्र का सार:

लेन-देन का विवरण	अनुमोदन प्राधिकारी
सभी संबंधित पक्ष लेन-देन (निम्न पैरा 5 में उल्लिखित के अलावा) और बाद में कोई भी भौतिक संशोधन	कंपनी की लेखा परीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन। (एक वित्तीय वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए व्यापक अनुमोदन सहित)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अंतर्गत ऐसे आरपीटी जो सामान्य व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आते हैं आर्म्स लेन आधार पर न किए हो या दोनों हों तथा जो न्यूनतम सीमा से परे हों।	कंपनी की लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल की पूर्व स्वीकृति।
आरपीटी जो सामान्य व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आते हैं या आर्म्स लेन आधार पर नहीं हैं या दोनों हैं तथा न्यूनतम सीमा से परे हैं।	कंपनी की लेखापरीक्षा समिति, निदेशक मंडल और शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति।
उपरोक्त 4.2.2 पर सामग्री आरपीटी	

5. कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अंतर्गत छूट और अन्य छूट:

- क) मौजूदा प्रावधानों के अधीन, अधिनियम और सूचीबद्धता (लिस्टिंग) विनियमों के अंतर्गत निम्नलिखित छूट लागू होंगी:

विवरण	छूट
कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति के अनुमोदन की आवश्यकता	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में निर्दिष्ट लेनदेन के अलावा, किसी होल्डिंग कंपनी और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच लेनदेन के लिए छूट होगी।
सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति के अनुमोदन की आवश्यकता	सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी द्वारा अपने निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या वरिष्ठ प्रबंधन को भुगतान किया गया पारिश्रमिक और बैठक शुल्क, इसके अतिरिक्त कि जो प्रमोटर या प्रमोटर समूह का हिस्सा है, बशर्ते कि यह विनियमन 23 के उप-विनियमन (1) के प्रावधानों के अनुसार महत्वपूर्ण न हो।
बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता	यदि लेन-देन आर्म्स लेन आधार पर तथा सामान्य व्यवसाय के अंतर्गत आते किए गए हो
कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार शेयरधारकों द्वारा प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता	- किसी होल्डिंग कंपनी और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच किए गए लेन-देन के लिए, जिनके खाते ऐसी होल्डिंग कंपनी के साथ समेकित किए गए हैं और अनुमोदन के लिए आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखे गए हैं। - किसी सरकारी कंपनी द्वारा, किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ किए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं के संबंध में।

सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के तहत अनुमोदन की आवश्यकता वाले आरपीटी के लिए लेखा परीक्षा समिति और शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता	• किसी होल्डिंग कंपनी और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच किए गए लेन-देन के लिए, जिनके खाते ऐसी होल्डिंग कंपनी के साथ समेकित किए गए हैं और अनुमोदन के लिए आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखे गए हैं। • किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को, उसके द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के साथ किए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं के संबंध में। • ऐसे लेन-देन जो सांविधिक बकाया, सांविधिक शुल्क या सांविधिक प्रभारों के भुगतान की प्रकृति के हों, जो एक ओर किसी इकाई और दूसरी ओर केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या इनके संयोजन के बीच किए गए हों। • एक ओर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी और दूसरी ओर केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या इनके किसी संयोजन के बीच हुए लेन-देन। • सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच किए गए लेन-देन, जिनके खाते ऐसी होल्डिंग कंपनी के साथ समेकित किए जाते हैं और अनुमोदन के लिए आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखे जाते हैं। • ऐसे मामलों में जहां सहायक कंपनी एक सूचीबद्ध इकाई है और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 23 और 15(2) ऐसी सूचीबद्ध सहायक कंपनी पर लागू होते हैं।
---	--

ख) **अन्य छूट** - निम्नलिखित संबंधित पक्ष लेनदेन को लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित माना जाएगा और इसके लिए अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी:

- (i) सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी द्वारा अपने निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या वरिष्ठ प्रबंधन को भुगतान किया गया पारिश्रमिक और बैठक शुल्क, इसके अतिरिक्त कि जो प्रमोटर या प्रमोटर समूह का हिस्सा है, बशर्ते कि यह विनियमन 23 के उप-विनियमन (1) के प्रावधानों के अनुसार महत्वपूर्ण न हो।
- (ii) ऐसे लेनदेन जिनके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी विशिष्ट प्रावधान के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जैसे संबंधित पक्षों के साथ अंतर-कॉर्पोरेट जमा, उधार, निवेश आदि;
- (iii) हडको द्वारा अपने सभी कार्मिकों को दी जाने वाली सेवा शर्तों के एक भाग के रूप में निदेशकों/केएमपी को ऋण एवं अग्रिम राशि।
- (iv) यदि लेन-देन खुली एवं पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से हो।

- (v) किसी भी निवेश / ऋण आदि के लिए दी गई स्वीकृति से संबंधित लाभांश, ब्याज और किसी भी अन्य रिटर्न का भुगतान या प्राप्ति।
- (vi) विभिन्न कार्मिक-पश्चात रोजगार लाभ ट्रस्टों/योजनाओं में वैधानिक अंशदान का भुगतान।
- (vii) समूह कम्पनियों में कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण।
- (viii) समूह कम्पनियों से/को वास्तविक रूप से प्रतिपूर्ति की प्रकृति के लेनदेन।
- (ix) कॉर्पोरेट पुनर्गठन से जुड़े लेन-देन, जैसे शेयरों की पुनर्खरीद, पूंजी में कमी, विलय, विभाजन, अलग करना आदि, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 या सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विशिष्ट प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

6. संबंधित पक्ष लेन-देन का अनुमोदन

- a) अधिनियम के प्रावधानों, सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 और अन्य लागू कानूनों के अधीन, यदि कंपनी को किसी संबंधित पक्ष के साथ ऐसे लेनदेन के बारे में जानकारी मिलती है जिसे इसके समापन से पहले इस नीति के अनुसार अनुमोदित नहीं किया गया है, तो मामले की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी।

लेखापरीक्षा समिति के सदस्य, जो स्वतंत्र निदेशक हैं, संबंधित पक्ष के लेनदेन को लेनदेन की तारीख से तीन महीने के भीतर या लेखापरीक्षा समिति की तत्काल अगली बैठक में, जो भी पहले हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित कर सकते हैं:

- i. किसी संबंधित पक्ष के साथ अनुमोदित लेन-देन का मूल्य, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से किया गया हो अथवा संयुक्त रूप से, एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा;
- ii. यह लेनदेन इस विनियमन 23 के उप-विनियम (1) के प्रावधानों के अनुसार महत्वपूर्ण नहीं है;
- iii. लेन-देन के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थता का औचित्य, अनुमोदन प्राप्त करने के समय लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगा;
- iv. इस विनियमन 23 के उप-विनियमन (9) के प्रावधानों के अनुसार संबंधित पक्ष लेनदेन के प्रकटीकरण के साथ-साथ अनुमोदन का विवरण प्रकट किया जाएगा;
- v. लेखापरीक्षा समिति द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य शर्त:

बशर्ते कि लेखा-परीक्षा समिति का अनुमोदन प्राप्त करने में विफलता लेखा परीक्षा समिति के विकल्प पर लेनदेन को अमान्य कर देगी और यदि लेनदेन किसी निदेशक से संबंधित पक्ष के साथ है, या किसी अन्य निदेशक द्वारा अधिकृत है, तो संबंधित निदेशक सूचीबद्ध इकाई को उसके द्वारा उठाए गए किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करेंगे।

- b) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार, यदि कंपनी के किसी निदेशक या अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा समिति की मंजूरी प्राप्त किए बिना एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि का कोई लेनदेन किया जाता है और लेनदेन की तारीख से तीन महीने के भीतर लेखा परीक्षा समिति द्वारा इसका अनुमोदन नहीं किया जाता है, तो ऐसा लेनदेन लेखा परीक्षा समिति के विकल्प पर पर शून्य घोषित किया जाएगा और यदि लेनदेन किसी

निदेशक से संबंधित पक्ष के साथ है या किसी अन्य निदेशक द्वारा अधिकृत है, तो संबंधित निदेशक कंपनी को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई (इंडेम्निफाई) करने के लिए उत्तरदायी होगा।

- c) जहां कोई अनुबंध या व्यवस्था निदेशक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा, बोर्ड की सहमति प्राप्त किए बिना या आम बैठक में प्रस्ताव द्वारा अनुमोदन प्राप्त किए बिना की जाती है और यदि बोर्ड द्वारा या, जैसा भी हो, शेयरधारकों द्वारा ऐसी अनुबंध या व्यवस्था किए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर बैठक में इसका अनुमोदन नहीं किया जाता है, तो ऐसा अनुबंध या व्यवस्था बोर्ड या, जैसा भी हो, शेयरधारकों के विकल्प पर शून्य घोषित किया जाएगा। और यदि अनुबंध या व्यवस्था किसी निदेशक से संबंधित पक्ष के साथ है, या किसी अन्य निदेशक द्वारा अधिकृत है, तो संबंधित निदेशक कंपनी को हुई किसी भी हानि की भरपाई (इंडेम्निफाई) के लिए उत्तरदायी करेंगे।
- d) किसी भी स्थिति में, जहाँ लेखा परीक्षा समिति/बोर्ड/शेयरधारक यह निर्धारित करते हैं कि बिना पूर्व अनुमोदन के प्रारंभ किए गए किसी संबंधित पक्ष लेन-देन को अनुमोदित (ratify) नहीं किया जाएगा त वे अतिरिक्त कार्रवाई का निर्देश दे सकते हैं, जिसमें नए अनुमोदन प्राप्त करना, लेनदेन को बंद करना या पुष्टि के लिए इसे स्वीकार्य बनाने के लिए लेनदेन में संशोधन करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। संबंधित पक्ष के लेनदेन की किसी भी समीक्षा के संबंध में, ऑडिट कमेटी/बोर्ड/शेयरधारकों को कंपनी के सर्वोत्तम हित में इस नीति की किसी भी प्रक्रियात्मक आवश्यकता को संशोधित करने या माफ करने का अधिकार है।

7. प्रकटीकरण

- क) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के अनुसार बोर्ड/शेयरधारकों के अनुमोदन से संबंधित पक्षों के साथ किए गए प्रत्येक अनुबंध या व्यवस्था को शेयरधारकों को बोर्ड की रिपोर्ट में संदर्भित किया जाएगा, साथ ही ऐसे अनुबंध या व्यवस्था करने का औचित्य भी बताया जाएगा।
- ख) सभी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन का विवरण तिमाही आधार पर दिखाया जाएगा, साथ ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन रिपोर्ट भी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की जाएगी।

- ग) सभी संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण समय-समय पर संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) निर्देश, 2023 के अनुबंध- VII और अनुबंध- XI के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण में जानकारी दी जाएगी ।
- घ) कंपनी अपनी वेबसाइट पर नीति की जानकारी देगी और वार्षिक रिपोर्ट में इसका वेब लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।
- ड) कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन के बारे में प्रकटीकरण, जो कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव पैदा कर सकते हैं।
- च) **इंड एस 24** के अंतर्गत अपेक्षित वित्तीय विवरण की जानकारी देना
- छ) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित किसी भी संबंधित पक्ष के साथ सभी अनुबंधों या व्यवस्थाओं का ब्यौरा अलग-अलग देते हुए एक या एक से अधिक रजिस्टर रखेगी।
- ज) कंपनी अपने एकल और समेकित वित्तीय परिणामों के प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक छह माह में सेबी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रारूप में संबंधित पक्ष लेनदेन की जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत करेगी और उसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित(अपलोड) करेगी।

तथापि, सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी द्वारा अपने निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या वरिष्ठ प्रबंधन को, सिवाय इसके कि जो प्रमोटर या प्रमोटर समूह का हिस्सा है, भुगतान किए गए पारिश्रमिक और बैठक शुल्क का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि यह इस विनियमन 23 के उप-विनियमन (1) के प्रावधानों के अनुसार महत्वपूर्ण न हो।

8. हस्तांतरण मूल्य निर्धारण विनियम

सभी संबंधित पक्ष लेनदेन, जहां भी लागू हो, आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण मूल्य (ट्रांसफर प्राइसिंग) निर्धारण आवश्यकता का अनुपालन करेंगे, जिसमें हस्तांतरण मूल्य निर्धारण विनियमों के तहत स्वतंत्र लेखाकारों से प्रमाणन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1)(बी) के अनुसार **"आर्म्स लेंथ ट्रांज़ैक्शन"** को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि ऐसा लेनदेन "इस प्रकार किया जाता है कि दोनों पक्ष असंबंधित हों और तुलनात्मक परिस्थितियों में आर्म्स लेंथ के आधार पर व्यवहार कर रहे हों। संबंधित विभाग/प्रबंधन की यह जिम्मेदारी होगी कि वे लेखा परीक्षा समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि सभी लेनदेन उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार आर्म्स लेंथ के आधार पर किए गए हो

9. डिस्क्लेमर

यह नीति, कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 या इसके तहत बनाए गए किसी नियम या विनियमन या कानून के किसी अन्य लागू सांविधिक अधिनियम के बीच किसी भी विसंगति के मामले में, अधिनियमित कानून/नियम/विनियम/प्रावधान इस नीति पर लागू होंगे। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, अधिनियम और/या इस संबंध में लागू नियम में कोई भी बाद में संशोधन/संशोधन स्वतः रूप से इस नीति पर लागू होगा।

10.नीति की समीक्षा

नीति की समीक्षा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार या लागू विनियमों या सर्वोत्तम पद्धतियों के तहत निर्धारित अवधित पर की जाएगी और तदनुसार अद्यतन की जाएगी। हालाँकि, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को समय-समय पर सांविधिक अधिनियमों/संशोधनों आदि के अनुसार नीति में संशोधन करने का अधिकार है।
